अध्याय-2: योजना

2.1 परियोजना प्रारंभ

2.1.1 परिकल्पित क्षमता में भिन्नता

आरआईएनएल की कॉरपोरेट योजना 2020 ने स्टीलनिर्माण क्षमता की 2009-10 तक 6.8 एमटीपीए, 2011-12 तक 8.5 एमटीपीए, 2016-17 में 13 एमटीपीए तथा 2018-19 में 16 एमटीपीए तक वृद्धि परिकल्पित की (फरवरी 2007)। तथापि, लेखापरीक्षा में जांच के तहत आरआईएनएल की क्षमता विस्तार योजना फेज-2 विस्तार में 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तक क्षमता वृद्धि हेतु था (अगस्त 2014 को प्रगति में है)।

एमओएस को प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट (30 दिसम्बर 2004) की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि आरआईएनएल ने प्राप्त की गई वास्तविक संचालन क्षमता अर्थात 3.5 एमटीपीए के प्रति 3.7 एमटीपीए के रूप में अपनी संचालन क्षमता परिनियोजित की। कथित परियोजना रिपोर्ट ने केवल 2.6 एमटीपीए (लिक्विड स्टील) की अतिरिक्त सुविधा का निर्माण परिकल्पित किया। तथापि, एनआईटी जारी करते समय स्टील निर्माण क्षमता को 2.8 एमटीपीए के रूप में वर्णित किया गया। यह दर्शाता है कि आरआईएनएल ने परियोजना रिपोर्ट के लिए स्वीकृति लेते समय वर्तमान संरचना क्षमता के साथ-साथ अतिरिक्त स्टील निर्माण क्षमता के संदर्भ में सही डाटा नहीं लिया, विशेष रूप से जब फेज-2 विस्तार के पश्चात कुल क्षमता 6.3 एमटीपीए पर स्थिर रही।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि विस्तार का कारक वर्तमान संचालन क्षमता को 6.3 एमटीपीए तक बढाना था।

इसके अलावा एमओएस ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2014) कि सलाहकार ने मौजूदा संयंत्र की संभावित क्षमता 3.7 एमटीपीए पर निर्धारित किया था तथा नए संयंत्र से 2.6 एमटीपीए क्षमता परिनियोजित की थी। तथापि, बाद के स्तर पर, 2.8 एमटीपीए लिक्विड स्टील की उत्पादन क्षमता के साथ एसएमएस-2 को क्षमता विस्तार में परिकल्पित किया गया था। एमओएस का उत्तर एक अनुवर्ती चिंतन है क्योंकि जुलाई 2011 में आरसीई को अंतिम रूप देते समय आरआईएनएल ने परिनियोजित रूप में वर्तमान तथा नए संयंत्रों की संशोधित क्षमता पर विचार नहीं किया। यह दर्शाता कि आरआईएनएल / एमओएस ने वर्तमान क्षमता तथा विस्तार के लिए अपने प्रस्ताव में क्षमता वृद्धि के साथ साथ अतिरिक्त स्टील निर्माण क्षमता को परिनियोजित करने के संदर्भ में डॉटा की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया।

2.1.2 सरकारी संस्वीकृति

प्रारूप पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) टिप्पणी के साथ क्षमता विस्तार हेतु आरआईएनएल का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2005 को 'गो-अहेड डेट' के साथ ₹ 8,259 करोड़ की अनुमानित लागत पर आर्थिक

मामलो पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की संस्वीकृति के लिए एमओएस को प्रस्तुत किया गया (30 दिसम्बर 2004)। एमओएस ने जनवरी 2005 में सभी मंत्रालयों / मूल्यांकन एजेंसियो को ड्राफ्ट पीआईबी टिप्पणी परिसंचारित की तथा फरवरी 2005 में पूर्व पीआईबी बैठक आयोजित की गई। योजना आयोग (पीसी) ने मार्च 2005 में व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) के लिए सैद्धान्तिक रूप से संस्वीकृति दी थी। पीआईबी बैठक जून 2005 में अयोजित की गई थी। एमओएफ के कहने पर, परियोजना लागत को ₹8,692 करोड़ (जून 2005 आधार) तक अधतित किया गया तथा भारत सरकार ने 28 अक्तूबर 2005 के रूप में 'गो-अहेड डेट'[5] के साथ संस्वीकृति दी (अक्तूबर 2005)। परियोजना व्यवहारिकता को इन्क्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) और पे-बैक अवधि क्रमशः 23.04 प्रतिशत पर तथा छः वर्ष और संयंत्र काल को 15 वर्ष ध्यान में रखते हुए परियोजना का मूल्यांकन किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित परियोजना के अनुसार, चरण-I तथा चरण-II को क्रमशः अक्तूबर 2008 तथा अक्तूबर 2009 तक पूरा किया जाना निर्धारित था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ओएम संख्या नं.1(2) पीएफ II/03 दिनांक 7 मई 2003 द्वारा, भारत सरकार ने परियोजना की संस्वीकृति के प्रत्येक स्तर के लिए समय सीमाएं निर्धारित की है। परियोजना ने 16 सप्ताह की निर्धारित अवधि के प्रति 40[6] सप्ताह में इसकी संस्वीकृति प्राप्त की थी। यह आरआईएनएल द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण था तथा एमओएस व्यवहार्य संवैधानिक स्वीकृति सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मंत्रालयों को पीआईबी टिप्पणी भेज रहा है।

आरआईएनएल ने विलम्ब की पुष्टि की (अप्रैल 2014) तथा यह कहा कि इसे बेहतर प्रयासो के बावजूद रोका नहीं जा सकता था। एमओएस ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2014) कि पीआईबी बैठक तक प्रारूप पीआईबी टिप्पणी भेजने की तिथि से 11 सप्ताह की समय सीमा के प्रति वास्तव में लिया गया समय 14 सप्ताह था। अतः विलम्ब केवल 3 सप्ताह था।

आरआईएनएल / एमओएस के उत्तरो की इस तथ्य के प्रति समीक्षा की जाने की आवश्यकता है कि आरआईएनएल / एमओएस को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व व्यवहार्य संवैधानिक मंजूरी सुनिश्चित करनी थी ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब से बचा जा सके। चूंकि स्वीकृत 11 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के प्रति प्रारूप पीआईबी टिप्पणी (18 जनवरी 2005 को) भेजने की तिथि से पीआईबी बैठक के आयोजन की तिथि (24 जून 2005) तक वास्तव में लिया गया समय 22 सप्ताह था। इस प्रकार पीआईबी बैठक तक 11 सप्ताह का विलम्ब था।

2.1.3 स्थापन के लिए अनुमति

परियोजना रिपोर्ट ने उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण तकनीक अपनाकर बीएफ से हीट वसूली, एसएमएस पर बैग फिल्टर स्थापित करना तथा विद्युत उत्पादन के लिए गैसो के प्रभावी उपयोग के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना को परिकल्पित किया। परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित रूप में, आरआईएनएल ने पैरा 2.5.3 में चर्चित रूप में बीएफ गैस के साथ विद्युत उत्पादन के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र-2 (सीपीपी-2) की

[5] जीरो तिथि

[6] 18 जनवरी 2005 से 28 जनवरी 2005 के बीच की अवधि

स्थापना की। जल संरक्षण के संदर्भ में, आरआईएनएल ने जीरो वाटर डिस्चार्ज (जेडडब्ल्यूडी) परियोजना शुरू की थी।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि एपीपीसीबी द्वारा जारी[7] (मई 2005) अनुसूची बी की क्रम संख्या 3 स्थापन (सीईएफ) के लिए स्वीकृति हेतु शर्तों के रूप में, आरआईएनएल को जीरो वाटर डिस्चार्ज अपनाने के लिए कूडा करकट उपचार संयंत्र स्थापित करना था। आरआईएनएल ने जीरो वाटर डिस्चार्ज (जेडडब्ल्यूडी) के लिए परियोजना लागत को ₹ 114.85 करोड़ तक अनुमानित किया । क्षमता विस्तार के पश्चात जल के 1,180 से 1,280 सीयूएम/घंटा उपचार करके ₹ 7.70 प्रति केएल पर कच्चा जल लागत को ध्यान में रखते हुए ₹ 15 करोड़ प्रति वर्ष की बचत अपेक्षित थी। आरआईएनएल जनवरी 2010 तक जेडडब्ल्यूडी परियोजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरआईएनएल ने पांच ठेके दिए जिनमें से लेखापरीक्षा ने जांच हेतु तीन ठेको को चुना जैसाकि नीचे दिया गया है :

तालिका-2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संख्या	कार्य का विवरण	पार्टी का नाम	लागत अनुमान	अद्यतित लागत	अवार्ड मूल्य	फैक्स एलओए तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि	सम्पूर्णता की वास्तविक /अपेक्षित तिथि	वितम्ब माह में	परिहार्य व्यय
1	10-डब्ल्यू टीएस--002	टपीपी में जल प्रणाली	मै. वीए टेक वावग लिमिटेड	43.15	43.15	24.78	19 अप्रैल 2008	18-अक्तूबर 2009	12 मार्च 2012	29	9.09
2	14-डब्ल्यू टीएस--002	स्वेज पम्प हाउस	मै. अदतिल एंड मै; पीएमपीएल[8]	21.50	28.43	25.89	06 जून 2008	05 अगस्त 2009	31 अगस्त 2014 तक समय विस्तार मंजूर किया गया	60	3.65
3	14-डब्ल्यू टीएस-004	बलचेरूवू उपचार संयंत्र	मै. अदतिल एंड मै; पीएमपीएल	20.10	67.62	36.75	15 अप्रैल 2008	14 अक्तूबर 2009	31 अगस्त 2014 तक समय विस्तार मंजूर किया गया	58	13.15
कुल				84.75	139.20	87.42					25.89

कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब 29 से 60 माह के बीच था। ये विलम्ब मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से थे (i) अनुसूची के अनुसार ठेका पूरा न करना तथा कार्य आरम्भ न करना (9 से 11 माह), (ii) ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करना, (iii) समय पर क्षेत्र न सौपना, (iv) फ्रन्टो की अनुपलब्धता, तथा (v) समय पर उपकरणो की आपूर्ति न करना। परियोजना की पूर्णता में इन विलम्बो के परिणामस्वरूप आरआईएनएल अगस्त 2009 तथा अगस्त 2014 के बीच ₹ 25.89 करोड़ के जल प्रभारों पर परिहार्य व्यय वहन करने के बावजूद एपीपीसीबी को दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर सका।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि विलम्ब मुख्यतः ठेकेदार मै. पीएमपीएल तथा मै. अडतिल पर आरोप्य थे जिन्हें विभिन्न स्तरों पर बेहत्तर प्रयासो तथा गहन अनुसरण के बावजूद पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सका। तथापि, ठेके के तहत उपलब्ध उपायों को अनुसार एलडी की वसूली तथा प्रमुख जुर्मानों को सुसंगत ठेकागत प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा। एमओएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2014) में आरआईएनएल के उत्तर की पुष्टि की। तथापि, तथ्य यह है कि जेडडब्ल्यूडी प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 25.89 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

---

[7] आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

[8] मै. पेरमीयोनिक्स मेम्बरेनस प्रा. लि. (पीएमपीएल) एवं मै. एरेफ डी टॉक्स इनसिनेरशेन लि. (एडीटीआईएल)

2.2 परियोजना क्रियान्वयन कार्यक्रम

एमओएफ की दिनांक 06 अगस्त 1997 की ओएम संख्या 1(5)/पीएफ.11/97 के अनुसार, यह आवश्यक था कि प्रत्येक प्रस्ताव को स्वीकृति, डीएफआर की तैयारी, नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेन्डर्स (एनआईटी), सिविल इंजीनियरिंग कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी के लिए आदेशो की व्यवस्था, निर्माण करना, पूर्व परीक्षण आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए सभी प्रमुख माइलस्टोन देने वाले परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम (पीआईएस) के बारे में विस्तार से सूचना देनी चाहिए। इसे सत्यापित किया जाना चाहिए कि पीआईएस व्यय की परिनियोजित स्थिति के अनुरूप हो। पीआईएस पीआईबी संस्वीकृति[9] का भाग होगा। दिसम्बर 2014 में आरआईएनएल द्वारा संस्वीकृत परियोजना रिपोर्ट[10] में दो व्यापक समय ढांचे निहित है, एक जीरो तिथि से ठेका देने की तिथि तक तथा दूसरा उपकरण आपूर्ति, स्थापना एवं आरम्भ करने तक। पीआईएस को विभिन्न संयंत्र उपकरणों तथा कार्यक्रमो को आरम्भ करने पर कार्य की अनुमानित मात्रा, निर्माण, आवंटन तथा संस्थापन के आधार पर विकसित किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि पीआईएस प्रत्येक उप गतिविधि के लिए विस्तृत प्रमुख माइलस्टोन/समय ढांचे द्वारा समर्थित नहीं था ताकि जवाबदेही निरूपित हो तथा परियोजना की समय पर पूर्णता सुनिश्चित हो।

आरआईएनएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि इसने केवल 14 ठेको अर्थात क्षमता विस्तार के लिए दिए गए 252 ठेको के 5.5 प्रतिशत, के संदर्भ में विलम्ब विश्लेषण प्रस्तुत किया। तथ्य यह है कि आरआईएनएल ने किसी भी स्तर अर्थात ठेका देने, क्रियान्वयन तथा प्रारम्भ पर कोई विलम्ब विश्लेषण नहीं बनाया । ऐसा विश्लेषण विलम्ब के लिए उत्तरदायी केन्द्रों को पहचानने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आरआईएनएल को सक्षम बनाऐगा।

2.2.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

भारत सरकार के ओएम संख्या 1(2) पीएफ. 11/03 (मई 2003) के अनुसार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को परियोजना प्रबंधन, क्रियान्वयन, संगठनात्मक ढांचे के साथ-साथ मॉनीटरिंग तथा समन्वय प्रबंधन, पहचान, परियोजना जोखिमों का निर्धारण, इसकी कमी हेतु प्रस्तावों आदि के लिए विभिन्न एंजेसियों के उत्तरदायित्वों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाना चाहिए। तथापि, आरआईएनएल ने भारत सरकार को स्वीकृति हेतु केवल परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की (दिसम्बर 2004)। ₹ 8,692 करोड़ के मूल्य की बहुत बडी परियोजना लेने के बावजूद, आरआईएनएल ने डीपीआर नहीं बनाया तथा एमओएस ने डीपीआर पर जोर दिए बिना परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना अवधारणा, बाजार पूर्वानुमान, कच्चे माल लिंकअप, प्रमुख उत्पाद सुविधाएं, सहायक सुविधाएं, उपयोगिता, विनिर्माण कार्यक्रम, लागत अनुमान, निधि स्रोत, वित्तिय विश्लेषण, संवेदनात्मकता विश्लेषण, क्रियान्वयन

---

[9] दिनांक 06 अगस्त 1997 की ओएम. संख्या 1(5)/पीएफ. 11/97

[10] पीआर के कार्यकारी सार का पैरा 44

नीति, वर्ग वार-श्रमशक्ति आवश्यकता, पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण उपाय आदि जैसा सभी आवश्यक विवरण निहित है। इस रिपोर्ट ने व्यापक रूप से भारत सरकार की ओएम संख्या 1(2)-पीएफ/11/03 (मई 2003) की आवश्यकता को पूरा किया। एमओएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2014) में आरआईएनएल के मतो की पुष्टि की।

आरआईएनएल / एमओएस का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीपीआर तैयार न करने का आरआईएनएल का निर्णय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। वास्तव में, आरआईएनएल ने बाद में परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान डीपीआर न बनाने से परियोजना लागत में वृद्धि, अतिरिक्त उपकरण के संस्थापन की क्रॉपिंग आदि जैसे परिणामों को प्रस्तुत किया (जुलाई 2011)।

2.2.2 परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ करना

क्षमता विस्तारण को लम्बी उत्पाद मिल स्थापित करके दो चरणों में परिकल्पित किया गया था। चरण-I में कच्चा माल हैंडलिंग प्रणाली (आरएमएचपी), ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ), सिन्टर प्लांट (एसपी), स्टील मेल्ट शॉप (एसएमएस) तथा वायर रॉड मिल की दो मिले (डब्ल्यूआरएम) तथा सीमलेस टयूब मिल (एसएलटीएम) जैसे सभी प्रमुख प्रक्रिया उपकरण सम्मिलित थे। चरण-II में स्पेशल बार मिल (एसबीएम) तथा संरचनात्मक मिल (एसएम) नाम की दो अन्य मिले शामिल है। आरआईएनएल के बीओडी द्वारा स्वीकृत आरसीई के अनुसार चरण-I तथा चरण-II यूनिटो का प्रारम्भ क्रमशः अक्तूबर 2011 तथा अक्तूबर 2012 तक पूरा होना था।

2.2.2.1 मास्टर नेटवर्क

आरआईएनएल ने आदेश निर्माण, उपकरण आपूर्ति एवं निर्माण तथा भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण सीमाओं के अन्दर स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट की तुलना में प्रारम्भ जैसे मास्टर नेटवर्क में विभिन्न कार्यों के माइलस्टोन कार्यक्रमों को परिवर्तित किया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-3

क्रम सं.	माइलस्टोन कार्य	स्वीकृत योजना के अनुसार 'गो-अहेड तिथि' (अक्तूबर 2005) से कार्यक्रम पूर्णता अवधि				आरआईएनएल के मास्टर नेटवर्क के अनुसार 'गो-अहेड तिथि' (अक्तूबर 2005) से कार्यक्रम पूर्णता अवधि			
		चरण-I		चरण-II		चरण-I		चरण-II	
		माह	अवधि	माह	अवधि	माह	अवधि	माह	अवधि
1	आदेश स्थानन	अप्रैल 2006	6 माह	अप्रैल 2007	18 माह	अ गस्त 2006	10 माह	जुलाई 2007	21 माह
2	उपकरण आपूर्ति एवं निर्माण	जुलाई 2008	27 माह	जुलाई 2007	27 माह	अगस्त 2008	24 माह	अगस्त 2009	25 माह
3	परीक्षण/ जांच एवं आरम्भीकरण	अक्तूबर 2008	3 माह	अक्तूबर 2009	3 माह	अक्तूबर 2008	2 माह	अक्तूबर 2009	2 माह
	कुल अवधि		36 माह		48 माह		36 माह		48 माह

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आरआईएनएल ने चरण-I के लिए 27 माह से 24 माह तक तथा चरण-II के लिए 27 माह से 25 माह तक द्वितीय माइलस्टोन 'उपकरण आपूर्ति एवं निर्माण' की निर्धारित अवधि को कम किया। एसएमएस-2, एसपी-3, बीएफ-3, रोलिंग मिल आदि जैसे प्रमुख उपकरण पैकेज की आपूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया वास्तविक समय 28 से 30 माह के बीच था। आपूर्ति / निर्माण तथा आरम्भ कार्यो के लिए पर्याप्त समय दिए बिना आर्डर प्लेसमेंट को पूरा करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत माइलस्टोन को संशोधित करने के प्रतिकूल प्रभाव को अध्याय-3 में चर्चित किया गया है।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में सम्पूर्ण पूर्णता अवधि को बनाए रखने के लिए द्वितीय माइलस्टोन की अवधि को कम किया। यह दर्शाता है कि आरआईएनएल ने द्वितीय माइलस्टोन कार्य के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर विचार नहीं किया क्योंकि आरआईएनएल ने आपूर्ति शेडयूलो पर विचार नहीं किया जो मास्टर नेटवर्क के अनुसार द्वितीय माइलस्टोन से अधिक थे।

2.3 परियोजना स्थापना

2.3.1 परियोजना कार्यान्वयन मंडली

एमओएस ने आरआईएनएल को कार्मिक की पुनः नियुक्ति करके वर्तमान विनिर्माण विभाग को मजबूत करने तथा निदेशक द्वारा अध्यक्षित एक विशेष परियोजना डिविजन बनाने का निर्देश दिया (अक्तूबर 2005)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरआईएनएल ने क्षमता विस्तार के लिए एक विशेष परियोजना डिविजन बनाने के बजाय मौजूदा परियोजना डिविजन के लिए परियोजना विस्तारण कार्य सौंपा जो सामान्य पूंजीगत रिपेयर तथा अनुरक्षण कार्य, एएमआर योजनाओं आदि को संभाल रहा था। इसके बावजूद, आरआईएनएल उपयुक्त समय के अन्दर ओ.एम. संख्या 13013/2/92-पीएमडी (अप्रैल 1998) के अनुसार आवश्यक विस्तारण के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष निदेशक (परियोजना) भी प्राप्त नहीं कर सका। कथित नियुक्ति में 43 माह का विलम्ब था। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस विलम्ब ने आरआईएनएल को परियेाजना की प्रभावकारिता बनाने तथा मॉनीटरिंग तंत्र के संवर्धन से वंचित किया।

आरआईएनएल ने लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि की थी (अप्रैल 2014)।

2.4 सलाहकार की नियुक्ति

मार्च 2005 की समाप्ति पर 6.3 एमटीपीए क्षमता विस्तारण के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के पूर्वानुमान में, आरआईएनएल के बीओडी ने सलाहकार की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 2005)। तदनुसार आरआईएनएल ने अप्रैल 2005 में ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट (ईओआई) जारी किया। ईओआई की अनुक्रिया में, तीन पार्टियों ने अपनी रूचि व्यक्त की। आरआईएनएल ने ऑफरों का मूल्यांकन किया तथा दो पार्टियों अर्थात मै. एमएन. दस्तूर एंड कॉ. प्रा. लि. कोलकाता तथा मै. माइकॉन

लिमिटेड, रांची को चुना (15 सितम्बर 2005)। तथापि, आरआईएनएल ने नवम्बर 2005 में चयनित पार्टियो के लिए सामान्य शर्तों को अंतिम रूप दिया तथा उन्हें जारी किया। दोनो पार्टियों की तकनीकी वाणिज्यिक बोलियों तथा मूल्य बोलियों को क्रमशः 28 नवम्बर 2005 तथा 30 नवम्बर 2005 को खोला गया तथा संविदा समिति ने सेवा कर को छोड़ कर सभी करो तथा शुल्को को शामिल करके ₹ 273 करोड़ की एकमुश्त कीमत पर दिसम्बर 2005 में एल1 पार्टी मै. एमएन. दस्तूर एंड कॉ. प्रा. लि. कोलकाता को ठेका देने की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि छः माह (मई से नवम्बर 2005) के लिए परामर्श ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब जीसीसी को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण था जिसे विलम्ब से चयनित संविदाओं के लिए जारी किया गया था (नवम्बर 2005)। इसके अलावा, बीओडी ने दो माह तक मंजूरी को विलम्बित किया (दिसम्बर 2005 तथा जनवरी 2006)।

आरआईएनएल के बीओडी ने अपनी 194वीं बैठक में क्षमता विस्तार के लिए भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने अर्थात अक्तूबर 2005 से पूर्व परामर्श ठेके को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया था ताकि जीसीसी / एससीसी को अंतिम रूप दिया जा सके तथा क्षमता विस्तार के प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किए जा सके। परामर्श ठेके को फरवरी 2006 में विलम्ब से अंतिम रूप दिया गया। इससे चरण-। के प्रथम माइलस्टोन अर्थात ठेका देने में विलम्ब हुआ जिसे अप्रैल 2006 तक पूरा होना था (अर्थात गो-अहैड तिथि से 6 माह)। इसे नवम्बर 2006 से दिसम्बर 2010 की समयावधि के दौरान विलम्ब से पूरा किया गया।

परामर्श ठेके के कार्यक्षेत्र में क्षमता विस्तारण, माइलस्टोन प्राप्ति आधार पर बीओक्यू तथा मूल्य निर्धारण के साथ विर्निर्देश बनाने, आकलन प्रस्तुत करने, विभिन्न पैकेजो के लिए संविक्षा, देने में सहायता तथा आर्डर प्लेसमेंट डिजाइन पर्यवेक्षण करने, जांच सेवाओं, पर्यवेक्षण, साइट सर्वेक्षण, निर्माण गतिविधियों की देख रेख, जांच तथा प्रारम्भिकरण में भागीदारी, परियोजना मॉनीटरिंग तथा लागत नियंत्रण तथा पश्च आरम्भिकरण सेवाओं को कवर करने के लिए मूल इंजीनियरिंग, डिजाइन तथा विस्तृत इंजीनियरिंग, समान्य कार्यक्षेत्र का निर्णय करने तथा पैकेजो की संख्या से सम्बंधित सेवाएं सम्मिलित थी।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि उन्होंने ग्लोबल ईओआई जारी करके सलाहकार की नियुक्ति के लिए समय पर कार्रवाई की थी ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को भारत सरकार से क्षमता विस्तारण के लिए अनुमोदन की प्राप्ति से पहले पूरा किया जा सके। उपरोक्त के संदर्भ में, परामर्श ठेके की नियुक्ति प्रक्रिया को भारत सरकार से मंजूरी की तिथि से साढे तीन माह के अन्दर पूरा किया गया। एमओएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2014) में आरआईएनएल के मतो की पुष्टि की। आरआईएनएल / एमओएस के उत्तरो को इस तथ्य के प्रति अवलोकित किए जाने की आवश्यकता है कि ग्लोबल ईओआई के एकमात्र मामले ने तब तक किसी उद्देश्य हेतु कार्य नहीं किया जब तक कि ऐसे ईओआई के जारी करने से पूर्व ठेके की सामान्य शर्तो (जीसीसी) को अंतिम रूप नहीं दिया गया जिससे सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब हुआ।

2.5 रोलिंग मिल की पर्याप्त क्षमता संस्थापन के लिए अनुपयुक्त योजना

आरआईएनएल अपर्याप्त रोलिंग मिल क्षमता के कारण स्टील की फिनिशिंग से कम मार्जिन के साथ पीग आयरन तथा बिल्लेटस की अधिक मात्रा का उत्पादन तथा बिक्री कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप् वित्तीय असंतुलन हुआ तथा आरआईएनएल को हानि उठानी पड़ी। संचित हानि ने निवल कीमत के 50 प्रतिशत (31 मार्च 1998 तक लगभग ₹ 3,626 करोड़) को पार किया तथा 1998-99 में आरआईएनएल रूग्ण हो गई तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के संदर्भ में निपुण हो गई। पूंजीगत पुनः निर्माण के पश्चात, आरआईएनएल 2005-2006 तक संचित हानियों को अंतिम रूप से समाप्त कर सका। उपरोक्त खराब अनुभवों के बावजूद, आरआईएनएल ने मूल्यह्रासित रोलिंग क्षमता के लिए योजना नहीं बनाई तथा कम मर्जिन के साथ अर्द्ध फिनिशड स्टील उत्पादों की बिक्री का जोखिम उत्पन्न किया जैसाकि नीचे चर्चा की गई है। :

यह प्रमाणित हुआ कि 3 एमटीपीए क्षमता पर, पहले से ही अपर्याप्त रोलिंग मिल क्षमता विद्यमान थी तथा आरआईएनएल को कम सकल मार्जिन के साथ 0.25 एमटीपीए की सीमा तक अधिशेष सेमिस को बेचना पडा। वर्तमान चरण-II क्षमता विस्तारण में भी पुनः आरआईएनएल ने अपस्ट्रीम यूनिटो की उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप होने के लिए रोलिंग मिलों के संस्थापन की योजना बनाई। चरण-II में 2.8 एमटीपीए की लिक्विड स्टील की उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्रस्ताव के प्रति, रोलिंग मिल की संस्थापित होने वाली न्यूनतम क्षमता 2.48 एमटीपीए[11] थी। इस तथ्य के बावजूद, आरआईएनएल ने केवल 2.35 एमटीपीए[12] की क्षमता वाली रोलिंग मिल के संस्थापन की येाजना बनाई जिसमें एसएलटीएम भी सम्मिलित था। तथापि, प्रस्तावित एसएलटीएम को बन्द किया गया (फरवरी 2008) इसके कारण 0.43 एमटीपीए की कुल अधिशेष सेमिस को छोड़ते हुए संयंत्र रोलिंग क्षमता 2.05 एमटीपीए तक कम हुई। इस प्रकार, परियोजना योजना दोषपूर्ण थी तथा आरआईएनएल लिक्विड स्टील क्षमता में वृद्धि की सीमा तक रोलिंग मिलो की मेचिंग क्षमता के संस्थापन को संभालने में विफल हुआ ताकि 0.68 एमटीपीए (0.25 + 0.13 + 0.30) के कुल अधिशेष सेमिस का रोल हो। उपरोक्त के संदर्भ में, आरआईएनएल के पास कम सकल न्यूनतम मार्जिन पर 0.68 एमटी की सीमा तक सेमिस को बेचने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा तथा आरआईएनएल को ₹ 52.70 करोड़[13] प्रति वर्ष के मार्जिन की हानि उठानी पडेगी।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि सामान्यतया रोलिंग मिले मानक मॉडयूल साइज में उपलब्ध थी तथा 6.3 एमटीपीए के लिए 0.38 एमटीपीए सेमिस के अधिशेष उत्पादन को असामान्य नहीं माना गया। आगे यह कहा गया कि यदि एसएलटीएम सहित मिले संस्थापित की गई तो राजस्व मार्जिन की हानि होगी।

---

[11] *फलो चार्ट के अनुसार लिक्विड स्टील की फिनिशड स्टील में मानक स्पान्तरण दर 88.53 प्रतिशत है। इस प्रकार मिल की आवश्यक संस्थापित क्षमता 2.48 एमटीपीए थी।*

[12] *1 लाख टन का डब्ल्यूआरएम + 7 लाख टन का स्ट्रक्चरल मिल + 7.5 लाख टन का एसबीएम + 3 लाख टन का एसएलटीएम = 23.50 लाख टन या 2.35 एमटीपीए*

[13] *एमएमएसएम (₹ 2334) तथा बिल्लेट (₹ 1559) के बीच सकल मार्जिन की भिन्नता 775 प्रतिटन X 6.8 लाख टन = 52.70 करोड़ (वर्ष 2012-13 की दरों पर)।*

एमओएस ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2014) कि वर्तमान संचालनों के तहत सेमिस के रूप में बिक्री को या तो अधिक मार्जिन के साथ मूल्य संवर्धित वर्ग या खराबियों (जो अपरिहार्य हो) के लिए सीमित किया जाता है। आगे यह उत्तर दिया गया कि चूंकि सामान्य रूप से मिल का उपयोग इस समयावधि के दौरान बढा है अतः सेमिस की खपत हो जाएगी तथा अधिशेष सेमिस की मात्रा कम होगी।

आरआईएनएल / एमओएस के उत्तरो को निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षित किए जाने की आवश्यकता है:-

- एमओएस की यह पूर्वधारणा कि मूल्य संवंर्धित सेमिस की बिक्री फिनिशड स्टील से अधिक मार्जिन पर पहुंच गई, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मूल्य संवर्धित फिनिशड स्टील हमेशा मूल्य संवर्धित सेमिस पर मार्जिन से अधिक माजिन अर्जित करता है।
- आरआईएनएल में पहले ही एसएमएस 2 की उत्पादन क्षमता को 2.8 एमटीपीए की निर्धारित क्षमता के प्रति 2.6 एमटीपीए तक आकलित किया
- इसके अलावा मिलो की क्षमता के अधिक उपयोग के मामले में, अधिशेष सेमिस की मात्रा एसएमएस में इसी प्रकार अधिक क्षमता उपयोग के कारण कम नहीं होगी (वर्तमान एसएमएस क्षमता उपयोग को 123 प्रतिशत (3.7 एमटीपीए / 3 एमटीपीए X 100) तक परिकल्पित किया गया) ।

इस प्रकार आरआईएनएल सेमिस की बिक्री के बजाय फिनिशड उत्पादों का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रोलिंग क्षमता की स्थापना पर विचार नहीं कर सका।

2.5.1 सीमलेस टयूब मिल (एसएलटीएम)

आरआईएनएल ने अपने पीआईबी ज्ञापन (दिसम्बर 2004) में परियोजना के अनुमोदन के लिए 0.3 एमटीपीए के क्षमता वाली सीमलेस टयूब मिल (एसएलटीएम) को सम्मिलित किया तथा यह प्रतिबदित किया कि पूर्ण अध्ययन तथा जांच के आधार पर व्यवहार्यता रिपोर्ट को बनाया गया था। सीमलेस टयूब की बिक्री पर एनएसआर[14] को ₹ 45,000 प्रतिटन पर आकलित किया गया।

पीआईबी नोट का मूल्यांकन करते हुए, योजना आयोग ने एसएलटीएम की स्थापना को न्यायोचित ठहराने के लिए विस्तृत अध्ययन / जांच हेतु आवश्यकताओं को उजागर किया (फरवरी 2005) तथा यह कहा कि मांग का आकलन अपेक्षित परियोजना पर आधारित है तथा विस्तृत विश्लेषण पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार, ईआरयू[15] ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट (मार्च 2005) में यह टिप्पणी की है कि आरआईएनएल द्वारा प्रदत्त डाटा अस्थिर तथा पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं था तथा आरआईएनएल को सीमलेस पाइपो पर विस्तृत बाजार सर्वेक्षण करना चाहिए। मूल्यांकन एजेंसियो की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, भारत सरकार ने विस्तृत अन्य अध्ययन / जांच को सुनिश्चित किए बिना एसएलटीएम की संस्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की (अक्तूबर 2005)। जनवरी 2008 में आरआईएनएल द्वारा किए विस्तृत अध्ययन के परिणामों पर

---

[14] निवल बिक्री उगाही

[15] आर्थिक अनुसंधान यूनिट अपने दिनांक 18 मार्च 2005 के पत्र द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रवाहित किया।

आधारित बाद के चरण में, आरआईएनएल ने लागत अनुमोदनो में वृद्धि, तकनीकी तथा प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के आधार पर एसएलटीएम की स्थापना को बंद किया (फरवरी 2008)। आरआईएनएल के एसएलटीएम को बंद करने का निर्णय लेने पर, आरआईएलएन ने सिविल कार्यों के प्रति ₹ 18.27 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

आरआईएनएल ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2014) कि एक ही स्थान के तहत जहां एसएलटीएम को वास्तव में परिकल्पित किया गया था, अब 0.6 एमटीपीए क्षमता के विषय में एक रीबार मिल की संस्थापना के लिए योजना बनाई गई है जिसके लिए सलाहकार ने पहले ही डीपीआर प्रस्तुत कर दिया है जोकि आगे कार्रवाई के लिए संवीक्षाधीन है। आगे यह कहा गया कि सभी प्रयास मिल आपूर्तिकर्ता तथा सम्बंधित कार्यकारी एजेंसियो को उपयुक्त विवरण ड्राइंग उपलब्ध कराकर एक सीमा तक संभव करने के लिए पाइलस तथा सिविल फांउडेशन का उपयोग करने के लिए किए जाने चाहिए। एमओएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2014) में आरआईएनएल के मतो की पुष्टि की।

आरआईएनएल / एमओएस के उत्तरों की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा की जाने की आवश्यकता है:

- जीरो तिथि (अक्तूबर 2005) से नौ वर्षों के पश्चात तथा एसएलटीएम की संस्थापना के लिए प्रस्ताव को बंद करने के छः वर्षो के पश्चात (फरवरी 2008) एसएलटीएम को बंद करने के स्थान पर एक रीबार मिल की स्थापना के लिए आरआईएनएल का विलम्बित निर्णय प्रबंधकीय अक्षमता को दर्शाता है।

- बार मिल की स्थापना प्राथमिक स्तर पर थी तथा प्रस्ताव को अभी स्वीकृति के लिए आरआईएनएल की बीओडी को दिया भी नहीं गया था (दिसम्बर 2014)।

- जब तक रीबार मिल तथा एसएलटीएम का डिजाइन तथा क्षमताएं भिन्न होगी तब तक नई रीबार मिल के लिए एसएलटीएम के मौजूदा सिविल कार्य का उपयोग करना व्यवहार्य नहीं हो सकता।

इस प्रकार, एसएलटीएम की स्थापना के लिए अनुपयुक्त निर्धारण तथा पृष्ठभूमि की सराहना के कारण तथा समय से पूर्व सिविल कार्य लेने के परिणामस्वरूप् सिविल कार्यों पर ₹ 18.27 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

2.5.2 मिलो को चालू करने में अधिक समय लेने के कारण उत्पादन हानि

भारत सरकार द्वारा मूल स्वीकृत शेडयूल के अनुसार, चरण-। इकाईयों अर्थात आरएमएचपी, एसपी-3, बीएफ-3, एसएमएस-2 और डब्ल्यूआरएम-2 के संदर्भ में क्षमता विस्तारण को अक्तूबर 2008 तक तथा चरण-।। इकाईयों अर्थात एसएम और एसबीएम के संदर्भ में अक्तूबर 2009 तक पूरा किया जाना था। परियोजना के चरण-। को अक्तूबर 2011 के संशोधित समय कार्यक्रम के प्रति मार्च 2014 में अर्थात 29 माह के विलम्ब से पूरा किया गया तथा चरण-।। अभी प्रगति पर था तथा अक्तूबर 2012 के निर्धारित समय के प्रति 28 माह के विलम्ब से फरवरी 2015 (अगस्त 2014 के रूप में) तक पूरा होना अपेक्षित है। इस प्रकार क्षमता विस्तारण के दोनो स्तरों को विलम्ब से किया गया तथा वास्तव में भारत सरकार से अनुमोदित

कार्यक्रम से अधिक लिया गया समय क्रमशः 65 तथा 64 माह था। क्षमता विस्तारण की विभिन्न उत्पादन यूनिटो को प्रारम्भ करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप आरआईएनएल के बीओडी द्वारा स्वीकृत रूप में आरम्भ करने की निर्धारित तिथि से मार्च 2014 के अन्त तक की समयावधि के दौरान ₹ 55.63 लाख टन के बिक्री योग्य स्टील की हानि हुई। संबंधित उत्पादों पर कथित अवधि के दौरान आरआईएनएल द्वारा अर्जित सकल मार्जिन पर, आरआईएनएल ने ₹ 1560.54 करोड़[16] का सकल मार्जिन[17] अर्जित करने के अवसर को खो दिया जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका -4

क्षमता विस्तारण को आरम्भ करने में विलम्ब के कारण मिलो में उत्पादन हानि														
वर्ष	डब्ल्यूआरएम			संरचनात्मक मिल			विशेष बार मिल			बिलेटस			बिक्रीयोग्य स्टील उत्पादन की हानि	सकल मार्जिन की हानि का जोड
	उत्पादन हानि	सकल मार्जिन	सकल मार्जिन की हानि	उत्पादन हानि	सकल मार्जिन	सकल मार्जिन की हानि	उत्पादन हानि	सकल मार्जिन	सकल मार्जिन की हानि	उत्पादन हानि	सकल मार्जिन	सकल मार्जिन की हानि		
	टन	₹ प्रति टन	₹ करोड़ म	टन	₹ प्रति टन	₹ करोड़ म	टन	₹ प्रति टन	₹ करोड़ म	टन	₹ प्रति टन	₹ करोड़ म	टन	₹ प्रति टन
2011-12	200000	4537	90.74	0	0	0	0	0	0	642525	2902	186.46	842525	277.20
2012-13	530000	3487	184.81	233333	2334	54.46	250000	4448	111.20	1208487	1559	188.40	2221820	538.87
2013-14	600000	3487	209.22	618333	2334	144.32	662500	4448	294.68	617390	1559	96.25	2498223	744.47
Totals	730000		484.77	851666		198.78	912500		405.88	2468402		471.11	5562568	1560.54

आरआईएनएल ने लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि की (अप्रैल 2014)। एमओएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि अगर प्रेशर रिडयूसिंग स्टेशन (पीआरएस) को आरम्भ करते समय एसएमएस-2 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई होती, जिसके कारण विभिन्न इकाईयों का सम्पूर्ण आरम्भ समय प्रभावित हुआ, चरण-। एवं ।। की सभी यूनिटों को क्रमशः अक्तूबर 2012 तथा अक्तूबर 2013 तक आरम्भ हो जाती।

एमओएस के उत्तर की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा की आवश्यकता है:

- यद्यपि एसपी-3 पर आग दुर्घटना का कोई प्रभाव नहीं था तथापि चरण-। की महत्वपूर्ण इकाई एसपी-3 जो बीएफ-3 को फीड सामग्री की आपूर्ति करता है, को विलम्ब से अगस्त 2013 में आरम्भ किया गया। एसपी-3 को आरम्भ करने में विलम्ब ने सभी बीएफ को थ्राटलड स्थिति में कार्य करने के लिए विवश किया।

- इसी प्रकार यद्यपि रोलिंग मिलों पर आग दुर्घटना का कोई प्रभाव नहीं था, तथापि चरण-। की रोलिंग मिल डब्ल्यूआरएम -2 को मार्च 2014 में विलम्ब से प्रारंभ किया गया तथा चरण-।। की शेष दो मिलें अभी चालू होनी थी (दिसम्बर 2014)।

उपरोक्त के दृष्टिगत, एमओएस का तर्क कि पीआरएस में दुभार्ग्यपूण दुर्घटना के कारण आरआईएनएल के नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पादन में हानि यर्थाथपूर्ण नहीं है क्योंकि एसएमएस-2 की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इकाइयाँ अभी संस्थापन हेतु तैयार नहीं थीं।

---

[16] *औसत निवल बिक्री उगाही घटा बेचे गए माल की लागत या कार्य लागत*

[17] *2013-14 के आंकडे अनन्तिम है।*

आरआईएनएल को सकल मार्जिन अर्जन का अवसर आगे भी खोना होगा क्योंकि रोलिंग मिल्स के संस्थापन में उत्तरवर्ती विलम्ब मार्च 2014 से आगे तक के होगे।

2.5.3 विद्युत संयत्रों के संस्थापन में विलम्ब

परियोजना रिपोर्ट में विद्युत आवश्यकता के लिए क्षमता विस्तारण को पूरा करने के लिए बीओओ (निर्माण-स्वामित्व-संचालन) आधार पर निजी पक्ष द्वारा दो विद्युत संयंत्रों (पीपी-I[18] और पीपी-II[19]) के निर्माण को बाहरी स्त्रोतों से करवाना परिकल्पित था। तथापि, आरआईएनएल ने महत्वपूर्ण उपकरणों की स्थिति और सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए ₹ 291.77 करोड़ की अनुमानित लागत से एएमआर योजना (संवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन) के तहत केप्टिव आधार पर पीपी-I को संस्थापित करने का निर्णय[20] लिया (जुलाई 2007)। तदनुसार बीओडी के अनुमोदन से (सितम्बर 2007) आरआईएनएल ने ₹ 465.29 करोड़ की लागत से मै. भेल को कार्य सौंपा। आरआईएनएल ने 14 विस्तारण दिए और दिसम्बर 2009 की निर्धारित पूर्णता तिथि के विरूद्ध पीपी-I को अभी संस्थापित किया जाना था (अगस्त 2014)। विलम्ब के मुख्य कारण निर्माण फ्रंट की अनुपलब्धता, ड्राइंगो के अनुमोदन में विलम्ब और भेल द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब थे। पीपी-I की पूर्णता में विलम्ब के कारण, आरआईएनएल ने जनवरी 2010 में अधिकतम मांग 1,00,000 केवीए से 1,35,000 केवीए तक बढ़ा दी और 1,00,000 केवीए अधिक की अधिकतम मांग संवर्धन पर मांग प्रभारों सहित विद्युत की खरीद के लिए ₹ 17.46 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

इसी प्रकार, कर लाभों पर ध्यान देते हुए आरआईएनएल ने आगे बीओटी आधार के बजाय स्वयं अपना गैस आधारित विद्युत संयत्र-एक ब्लास्ट फरनेस (बीएफ) के लिए पीपी-II (2 x 60 मे. वा) के संस्थापन का निर्णय लिया (अगस्त 2008)। एनआईटी जारी करने के बाद (नवम्बर 2008) आरआईएनएल ने निविदा दस्तावेजों में संशोधनों द्वारा मुख्य घटकों जैसे (क) योग्यता मानदंड (ख) मूल्यांकन मानदंड (ग) चेकलिस्ट (घ) तकनीकी विशिष्टता के कुछ भाग (ड) निष्पादन गांरटी मापदंड (च) निर्णीत हर्जाना (एलडी) खण्ड और (छ) नियम एवं शर्तें (ज) कीमत फार्मेट (झ) निविदा की अवधि में संशोधन / परिशिष्ट / शुद्धिपत्र जारी करना जारी रखा। लम्बी चर्चाओं के बाद भी निविदा के सभी मुख्य घटकों के बार बार संशोधनों से निविदा विशिष्टताओं / दस्तावेजो की तैयारी मे कमी का पता लगा। इस प्रक्रिया में, एनआईटी से ठेका में 950 दिनों का काफी लम्बा समय लिया गया। बीओडी ने अप्रैल 2011 में ₹ 366.34 करोड़ की लागत से मै. थर्मेक्स को 27 महीनों की पूर्णता अवधि के साथ ठेके का अनुमोदन दिया(फरवरी 2011)। तथापि मै. थर्मेक्स द्वारा माइलस्टोन कार्य पूरा करने में विलम्ब के कारण अवधि को नौ महीने तक बढ़ा कर जून 2014 तक विस्तारित किया गया। इसलिए, पीपी-II कार्यों को अभी तक प्रारंभ किया जाना था (अगस्त 2014)।

आरआईएनएल अपने उत्तर (अप्रैल 2014) में निविदा को अन्तिम रूप देने के बारे में मूक था किन्तु उसने स्वीकार किया कि निष्पादन मे विलम्ब ठेकेदार मै. भेल के कारण हुए जिससे अच्छा प्रयास करने के और कई स्तरों पर बारीकी से निगरानी के बावजूद बचा नही जा सकता था और माइलस्टोन शास्ति / एलडी की लगभग ₹ 9.85 करोड़ की वसूली / रोक की गई। एमओएस ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर

---

[18] *67.5 मे. वा. टी. जी*
[19] *2 x 60 मे. वा. टी. जी*
[20] *दिनांक 29 जुलाई 2007 की बोर्ड बैठक सं. 228*

2014) कि जनवरी 2010 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान, स्टेट ग्रिड से विद्युत के आयात में केवल ₹ 2.70 करोड़ का निहितार्थ था।

एमओएस का उत्तर निम्नलिखित त्थयों के दृष्टिगत देखने की आवश्यकता है:

- पीपी-I दिसम्बर 2009 तक संस्थापित होना निर्धारित था। पूर्णता में विलम्ब के कारण, आरआईएनएल को मजबूरी में एमडी को 1,00,000 केवीए से 1,35,000 केवीए तक बढ़ाना पड़ा।
- कार्यक्रम के अनुसार पीपी-I के संस्थापन से एमडी में वृद्धि की आवश्यकता और विद्युत पर 1,00,000 केवीए से अधिक के मांग प्रभार की ₹ 17.46 करोड़ की राशि के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

2.6 कच्चा माल अनुबंध और जल समझौता

परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन से तरल इस्पात के उत्पाद के लिए अतिरिक्त मुख्य कच्चा माल अर्थात् लौह अयस्क, कोकिंग कोयला लाइमस्टोन और डोलोमाइट की आवश्यकता थी। क्षमता विस्तारण हेतु डोलोमाइट और लाइमस्टोन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरआईएनएल ने मौजूदा केप्टिव खानों के विस्तारण का कार्य शुरू किया था। आरआईएनएल के पास अपने प्राथमिक कच्चे माले जैसे लौह अयस्क और कोकिंग कोयले की केप्टिव खाने नहीं थी जबकि आरआईएनएल ने अपनी क्षमता को 16 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए कोरपोरेट योजना (2007-2012 वर्षों के लिए) तैयार की, उसने 2003 से खानों के आवंटन हेतु आवेदन भरे और केप्टिव खानों के अधिग्रहण में कोई कामयाबी नहीं पाई (मार्च 2014)। आरआईएनएल ने ईस्टर्न इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड (ईआईएल) में जिसके पास ओडिशा में लौह अयस्क और मैंगनीज खानों के छः लाइसेंस थे, ₹ 361 करोड़ की 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त की (जनवरी 2011)। इस निवेश के बावजूद, तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आरआईएनएल से कोई लाभ उठाने में असमर्थ था क्योंकि ईआईएल के पास उपलब्ध सभी छः लाइसेंस समाप्त हो चुके थे और ओडिशा सरकार द्वारा लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया था (मार्च 2014)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 361 करोड़ की राशि अवरूद्ध हुई क्योंकि 3 वर्षों से अधिक से आरआईएनएल द्वारा निवेश से कोई लाभ नहीं उठाया जा सका।

लौह अयस्क के सम्बंध में 6.3 एमपीटीए क्षमता संवर्धन तक के लिए आरआईएनएल को देने के लिए 10.5 मिलियन टन के लौह अयस्क की अपूर्ति करने की एनएमडीसी की वचनबद्धता है। लौह अयस्क और कोकिंग कोयले की अपनी स्वयं की केप्टिव खानों के अभाव में, आरआईएनएल को क्षमता संवर्धन के उद्देश्य की प्राप्ति में जोखिम का खतरा है (बाद के स्तर में उच्च लागत का भुगतान करने की संभावना है)।

आयातित कोकिंग कोयले (आईसीसी) के संबंध में, आरआईएनएल की अधिप्राप्ति नीति के अनुसार, आईसीसी की आवश्यकता की 95 प्रतिशत दीर्घाविधि समझौते के माध्यम से और बकाया पांच प्रतिशत वैश्विक निविदाओं के माध्यम से पूरा होना है। तदनुसार, सेल[21] के साथ आरआईएनएल संयुक्त रूप से अपनी आईसीसी की पूरी आवश्यकता की अधिप्राप्ति सशक्त संयुक्त समिति (ईजेसी) के माध्यम से

[21] *स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड*

आस्ट्रेलिया, यूएसए और न्यूजिलैंड के दीर्घावधि आपूर्तिकर्त्ता से बातचीत द्वारा कर रहा था। मध्यम कोकिंग कोयले (एमसीसी) के संबंध में अधिकतम आवश्यकता 4.67 लाख टन पीए (6.3 एमटीपीए क्षमता) अनुमानित थी जोकि 3 एमटीपीए स्तर की आवश्यकता से थोडी अधिक थी। आरआईएनएल सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड से अपनी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने का इरादा रखता था जिसके साथ आरआईएनएल ने एक एमओयू[22] किया था।

जल के लिए, आरआईएनएल ने संयत्र की जल की आवश्यकता के लिए विशाखा इन्डस्ट्रीयल वाटर सप्लाई कम्पनी (वीआईडब्ल्यूसीओ) से जल आपूर्ति के लिए एक समझौता किया था यद्यपि आरआईएनएल 100 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता समय अर्थात् दिसम्बर 2010 से 204 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन की आवश्यकता प्रत्यायोजित की थी, वीआईडब्ल्यूएससीओ ने प्रतिदिन केवल 136 मिलियन लीटर की वचनबद्धता दी थी। क्षमता संवर्धन के संस्थापन के लिए किसी अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह विलम्बित था। अन्यथा, आरआईएनएल ने पानी की कमी को भी जेडडब्ल्यूडी योजना यदि कोई हो तो (शून्य जल निकासी योजना) से पूरा करने की योजना भी बनाई हुई थी।

सिफारिश:-

1. **आरआईएनएल इस्पात मंत्रालय / भारत सरकार के साथ ओडिशा में खनन लाइसेंस के नवीनीकरण न होने का मामला उठाये जोकि उपयुक्त एजेंसियों के साथ मुद्दे को उठाये।**

[22] *समझौता ज्ञापन*